उत्तर प्रदेश शासन

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1

संख्या-2/2015/600/60-1-15-1-13(21)/15

लखनऊ: दिनांक 7 मई ,2015

आई0सी0पी0एस0 योजना के अन्तर्गत निर्धारित विभिन्न मानक मदों हेतु बजट आवंटन/व्यय का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इसके अनुसार योजना के अन्तर्गत मदवार दी गयी धनराशि में उलिलखित विवरण के अनुसार व्यय की जायेगी। विभिन्न लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत विभिन्न ईकाइयों हेतु व्यय का विवरण निम्नवत है :-

1- **लेखाशीर्षक-15-जिला बाल संरक्षण इकाई** हेतु मद संख्या-07-मानदेय, 08-कार्यालय व्यय, 09-विघुत व्यय, 12-कार्यालय फर्नीचर, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 17-किराया उपशुल्क, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण व्यय, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तदसंबंधी स्टेशनरी का व्यय।

2- **लेखाशीर्षक-0122-किशोर न्याय बोर्ड** हेतु मद संख्या-07-मानदेय, 08-कार्यालय व्यय, 12-कार्यालय फर्नीचर, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 17- किराया उपशुल्क, 29-अनुरक्षण व्यय, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण व्यय, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तदसंबंधी स्टेशनरी का व्यय।

3- **लेखाशीर्षक-0106-बाल कल्याण समिति** हेतु मद संख्या-07-मानदेय, 08-कार्यालय व्यय, 12-कार्यालय फर्नीचर, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 17- किराया उपशुल्क, 29-अनुरक्षण व्यय, 42-अन्य व्यय, 44-प्रशिक्षण व्यय, 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तदसंबंधी स्टेशनरी का व्यय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

4- लेखाशीर्षक-गृहों का संचालन हेतु मद संख्या-08-कार्यालय व्यय, 09-विघुत व्यय, 12- कार्यालय फर्नीचर, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 17-किराया उपशुल्क, 29-अनुरक्षण व्यय, 41-भोजन व्यय, 42-अन्य व्यय, 43-सामग्री सम्पूर्ति, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, 47-कम्प्यूटर अनुरक्षण तदसंबंधी स्टेशनरी का व्यय।

5- लेखाशीर्षक-विशेष दत्तक ग्रहण इकाई हेतु मद संख्या-08-कार्यालय व्यय, 09-विधुत व्यय, 12-कार्यालय फर्नीचर, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, भोजन व्यय, 43-सामग्री सम्पूर्ति, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण तदसंबंधी स्टेशनरी का व्यय।

6- 0110-लेखाशीर्षक-विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट हेतु मद संख्या-08-कार्यालय व्यय, 09-विधुत व्यय, 12-कार्यालय फर्नीचर, 16-व्यवसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान, 29-अनुरक्षण व्यय, 39-औषधि तथा रसायन, 41-भोजन व्यय, 42-अन्य व्यय, 43-सामग्री सम्पूर्ति, 46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर, 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण तदसंबंधी स्टेशनरी का व्यय।

2- उक्त के अतिरिक्त संस्थानों/गृहों के सुन्दरीकरण हेतु वस्तुओं के एकमुश्त क्रय व्यवस्था निर्धारित संख्या के अनुसार संख्या संलग्न सूची के आधार की जानी होगी।

3- संस्थाओं/गृहों, जिला बाल संरक्षण इकाईयों, किशोर न्याय बोर्डो, बाल कल्याण समितियों, विशेष दत्तक ग्रहण वाले बच्चों हेतु मदवार बजट विवरण प्रथम छः माह हेतु भी संलग्न है।

4- महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत संचालित योजनाओं में विभिन्न इकाईयों हेतु संलग्न विवरण के अनुसार मदवार निर्धारित मानक व्यय के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संबंध में कार्यवाही सुनिशिचत करने तथा उक्त विवरण के अनुसार एम0आई0एस0 में प्रत्येक माह विवरण भरे जाने तथा व्यय एवं बचत की सूचना एम0आई0एस0 में फीड किया जाना सुनिशिचत किया जाय। एम0आई0एस0 के माध्यम से कार्य सुनिशिचत कराये जाने संबंधी कृत्य का अनुकूल/प्रतिकूल अंकन संबंधित अधिकारी की वार्षिक प्रविष्टि में किया जायेगा।

संलग्नक-यथोपरि।

शिवाकान्त वेदी
विशेष सचिव।

संख्या-2/2015/600(1)/60-1-15, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।
2- समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- समस्त उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी/जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
4- वित्त नियंत्रक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।
5- योजना अधिकारी, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्दलाल प्रसाद)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।